



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-28092026-276560
CG-DL-E-28092026-276560

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 5106]

नई दिल्ली, सोमवार, सितम्बर 28, 2026/आश्विन 6, 1948

No. 5106]

NEW DELHI, MONDAY, SEPTEMBER 28, 2026/ASVINA 6, 1948

श्रम और रोजगार मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 28 सितम्बर, 2026

का.आ. 5313(अ).—केंद्रीय सरकार, सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 (2020 का 36) की प्रथम अनुसूची के तीसरे परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, तारीख 1 अक्टूबर, 2026 को उस तारीख के रूप में नियत करती है, जिसको और जब से मध्य प्रदेश राज्य के एक गैर-कार्यान्वित जिले अर्थात् निवाड़ी और 24 आंशिक रूप से कार्यान्वित जिलों के संपूर्ण क्षेत्रों में अर्थात् आगर मालवा, अलीराजपुर, अनूपपुर, अशोकनगर, बालाघाट, बड़वानी, बैतुल, छतरपुर, दमोह, दतिया, हरदा, झाबुआ, मण्डला, नरसिंहपुर, पन्ना, राजगढ़, सिवनी, श्योपुर, शिवपुरी, सीधी, टीकमगढ़, उमरिया, विदिशा और डिंडोरी के संपूर्ण क्षेत्रों में स्थित स्थापनों के नियोक्ताओं और कर्मचारियों से धारा 29 के अधीन अभिदाय संदेय होगा तथा कर्मचारी राज्य बीमा निगम से संबंधित अध्याय IV के अधीन किन्हीं फायदों को निगम द्वारा ऐसे स्थापनों के कर्मचारियों को प्रदान किया जाएगा।

[फा. सं. एस-38013/05/2026-एसएस-1]

आशुतोष ए.टी. पेडणेकर, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF LABOUR AND EMPLOYMENT**NOTIFICATION**

New Delhi, the 28th September, 2026

S.O. 5313(E).— In exercise of the powers conferred by the third proviso to First Schedule of the Code on Social Security, 2020 (36 of 2020), the Central Government hereby appoints the 1st day of October, 2026, as the date on and from which the contribution from the employers and employees of establishments in the entire areas of one non-implemented district namely, Niwari and in the entire areas of 24 partially implemented districts namely Agar Malwa, Alirajpur, Anuppur, Ashoknagar, Balaghat, Barwani, Betul, Chhatarpur, Damoh, Datia, Harda, Jhabua, Mandla, Narsinghpur, Panna, Rajgarh, Seoni, Sheopur, Shivpuri, Sidhi, Tikamgarh, Umaria, Vidisha and Dindori, in the State of Madhya Pradesh shall be payable under section 29 and any benefits under Chapter IV relating to the Employees State Insurance Corporation are provided by the Corporation to the employees of such establishments.

[F. No. S-38013/05/2026-SS-I]

ASHUTOSH A.T. PEDNEKAR, Jt. Secy.